इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 49] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 8 दिसम्बर 2017—अग्रहायण 17, शक 1939

भाग ४

विषय-सूची

(क)	(1) मध्यप्रदेश विधेयक,	(2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,	(3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक.
(ख)	(1) अध्यादेश,	(2) मध्यप्रदेश अधिनियम,	(3) संसद के अधिनियम.
(ग)	(1) प्रारूप नियम,	(2) अन्तिम नियम.	

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अंतिम नियम

गृह विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 दिसम्बर 2017

क.एफ 2(अ)70/2012/बी–4/दो–भारत के संविधान के अनुच्छेद, 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश पुलिस तकनीकी कार्यपालिक(अराजपत्रित) तृतीय श्रेणी के सदस्यों की भर्ती तथा सेवा शर्तो के सबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः–

नियम

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ –**

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश पुलिस तकनीकी कार्यपालिक (अराजपत्रित) तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम, 2017 है:

2) ये मध्यप्रदेश राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं** – इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, अनुसूची–एक के कालम (8) में यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी;

(ख) "समिति" से अभिप्रेत है, अनुसूची–चार में यथा विनिर्दिष्ट विभागीय पदोन्नति समिति.

(ग) "महानिदेशक" से अभिप्रेत है, पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश;

(घ) "परीक्षा" से अभिप्रेत है, नियम 11 के अधीन सेवा में भर्ती के लिये प्रतियोगिता परीक्षा;

(ड.) "सरकार" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार;

(च) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश के राज्यपाल;

(छ) "अन्य पिछड़ा वर्ग" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्र. एफ–8–5–पच्चीस–4–84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;

(ज) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची;

(झ) ''अनुसूचित जाति'' से अभिप्रेत है, कोई जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा किसी जाति, मूलवंश या जनजाति का भाग या उसमें का यूथ जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हो.

(ञ) ''अनुसूचित जनजाति'' से अभिप्रेत है, कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा जनजाति या जनजाति समुदाय का भाग या उसमें का यूथ जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हो.

(ट) ''सेवा'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश पुलिस तकनीकी कार्यपालिक (अराजपत्रित) सेवा;

(ठ) ''राज्य'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश राज्य।

3. **विस्तार तथा लागू होना** – मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अंतर्विष्ट उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य को लागू होंगे.

4. **सेवा का गठन** – सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :–

(1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय, अनुसूची–एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूल रूप से या स्थानापन्न रूप में धारण कर रहे हों;

(2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने से पूर्व सेवा में भर्ती किये गये हों, और

(3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किये गये हैं.

5. **वर्गीकरण, वेतनमान आदि** – सेवा का वर्गीकरण, उससे संलग्न वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या, अनुसूची–एक में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार होगी, परन्तु सरकार, समय–समय पर, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में या तो स्थायी अथवा अस्थायी आधार पर वृद्धि या कमी कर सकेगी.

6. भर्ती का तरीका –

(1) सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी, अर्थात् –

(क) प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से या साक्षात्कार द्वारा सीधी भर्ती द्वारा या दोनों द्वारा;

(ख) अनुसूची–चार के कालम (2) में यथा विनिर्दिष्ट सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा;

(ग) उन व्यक्तियों की प्रतिनियुक्ति अथवा स्थानांतरण द्वारा जो ऐसी सेवा में ऐसे पद मूलतः धारण करते हैं, जैसा कि इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए.

(2) उप नियम (1) के खण्ड (क), (ख) या खण्ड (ग) के अधीन भर्ती किए गए व्यक्तियों की संख्या, अनुसूची–एक में विनिर्दिष्ट पदों की संख्या के उस प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी जो अनुसूची–दो में दर्शायी गयी है.

(3) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, सेवा में किसी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को, जिन्हें भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरा जाना अपेक्षित हो भरने के प्रयोजन के लिये अपनाया जाने वाला भर्ती का तरीका या तरीके तथा प्रत्येक तरीके द्वारा भर्ती किए गए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सरकार के परामर्श से अवधारित की जाएगी.

(4) उप–नियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुये, ऐसा करना अपेक्षित हो तो सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्व सहमति से, उक्त उप–नियम में विनिर्दिष्ट सेवा में भर्ती के उन तरीकों से भिन्न, ऐसे अन्य तरीके अपना सकेगी जैसा कि इस निमित्त जारी किए गए आदेश द्वारा, विहित करें।

7. **सेवा में नियुक्ति** – इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में समस्त नियुक्तियां, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएंगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति, नियम–6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के तरीकों में से किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जाएगी, अन्यथा नहीं।

8. सीधी भर्ती के लिये पात्रता की शर्तें – चयन/परीक्षा में पात्र होने के लिये अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी आवश्यक होंगी, अर्थात् :–

(1) आयु –

(क) उसने परीक्षा/चयन होने की ठीक आगामी जनवरी के प्रथम दिन को,अनुसूची–तीन के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो और उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो.

(ख) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिये उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी.

(ग) उन अभ्यर्थियों के संबंध में भी,जो मध्यप्रदेश सरकार के कर्मचारी हैं या कर्मचारी रह चुके हैं, उच्चतर आयु सीमा नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तक तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए शिथिलनीय होगी :–

(एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो स्थायी सरकारी सेवक हो, 45 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये.

(दो) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो तथा किसी दूसरे पद के लिये आवेदन कर रहा हो, 45 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये. यह रियायत आकस्मिकता निधि से भुगतान पाने कर्म–चारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना–कार्यान्वयन समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी.

(तीन) ऐसे अभ्यर्थी को, जो छटनी किया गया सरकारी सेवक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम 7 वर्ष की सीमा तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा:

परंतु यह कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो.

स्पष्टीकरण – शब्द "छटनी किया गया सरकारी सेवक" से द्योतक है. ऐसा व्यक्ति, जो इस राज्य की या किन्हीं संघटक इकाई की अस्थायी सरकारी सेवा में कम से कम छह मास की कालावधि तक निरन्तर रहा था और जिसे रोजगार कार्यालय में अपना रजिस्ट्रीकरण कराने या–सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों या स्थापना में सामान्य रूप से कमी किए जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया है.

(चार) ऐसे अभ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक है, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा:

परन्तु यह कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो.

स्पष्टीकरण – शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से द्योतक है ऐसा व्यक्ति, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी प्रवर्ग में रहा हो तथा जो भारत शासन के अधीन कम से कम छह मास की कालावधि तक निरन्तर नियोजित रहा था और जिसकी किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना रजिस्ट्रीकरण कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के फलस्वरूप या स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छटनी की गई थी या जिसे अधिशेष (सरप्लस) घोषित कर दिया गया था –

(1) ऐसा भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें सेवानिवृत्ति रियायती (मस्टरिंग आउट कन्सेशन) के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया हो;

(2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें दूसरी बार नामांकित किया गया हो और जिन्हें :–

(क) अल्पकालीन वचनबंध पूर्ण होने पर;

(ख) नामांकन संबंधी शर्तें पूर्ण कर लेने पर सेवोन्मुक्त किया गया हो.

(3) मद्रास सिविल इकाई (यूनिट) के भूतपूर्व कार्मिक;

(4) ऐसे अधिकारी जिनमें (सैनिक तथा असैनिक),जिनमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी सम्मिलित है, संविदा पूरी होने पर सेवान्मुक्त किये गये हों,

(5) ऐसे अधिकारी, जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छह मास से अधिक समय तक निरन्तर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किया गया हो.

(6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक,जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग कर दिया गया हो;

(7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया हो कि वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं है;

(8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक; जिनको गोली लग जाने के परिणामस्वरूप घाव हो जाने आदि के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो।

(घ) विधवा, तलाकशुदा एवं निराश्रित महिला अभ्यर्थियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(ड़) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन किसी दम्पत्ति के पुरस्कृत सवर्ण पति/पत्नी के मामले में उच्चतर आयु सीमा, 5 वर्ष शिथिलनीय होगी;

(च) विक्रम पुरस्कार धारक अभ्यर्थियों के मामले में उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(छ) ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में जो मध्यप्रदेश राज्य निगम/मंडल के कर्मचारी हैं, उच्चतर आयु सीमा 45 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ज) नगर सेना (होम गार्ड्स) के स्वयं सेवी नगर सैनिकों एवं नान–कमीशन्ड अधिकारियों के मामले में उनके द्वारा की गई नगर सेना सेवा की कालावधि के लिए उच्चतर आयु सीमा 8 वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए शिथिलनीय होगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए,

(झ) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा अधिकतम दस वर्ष तक शिथिलनीय होगी परन्तु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पणी – (1) ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें उपर्युक्त उप नियम (1) के खण्ड (क) के उप खण्ड (एक) तथा (दो) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन परीक्षा/चयन में पात्र पाया गया हो, यदि आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् परीक्षा/चयन के पहले या उसके बाद, सेवा से त्याग–पत्र दे देते हैं, नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे, तथापि, यदि आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात उनकी सेवा अथवा पद से

छटनी की जाती है तो वे पात्र बने रहेंगे, किसी अन्य मामले में आयु सीमा शिथिल नहीं होगी।

टिप्पणी– (2) विभागीय अभ्यर्थियों को परीक्षा/चयन में उपस्थित होने के लिये उनके नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा अभिप्राप्त करनी होगी.

टिप्पणी– (3) सभी प्रकार की छूट को सम्मिलित करते हुए किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नही होगी। अधिकतम आयु सीमा की गणना परिपत्र क्र.सी 3–11/12/13 दिनांक 03–11–12 एवं 20.11.2012 के अनुसार की जाएगी।

(2) **शैक्षणिक अर्हताएं** – अभ्यर्थी के पास, अनुसूची–तीन में विनिर्दिष्ट की गई सेवा की विहित शैक्षणिक अर्हता होनी चाहिए :

परन्तु :–

(क) नियुक्ति प्राधिकारी, आपवादिक मामलों में, विभागीय समिति की सिफारिश पर, किसी ऐसे अभ्यर्थी को अर्हमान सकेगा, जो यद्यपि इन नियमों में विहित अर्हताओं में से कोई अर्हता न रखता हो, किन्तु जिसने अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षाएं ऐसे स्तर से उत्तीर्ण की हों, जो नियुक्ति प्राधिकारी की राय में परीक्षा/चयन में उपस्थित होने के लिये अभ्यर्थी के विचारण को न्याय संगत ठहराता हो;

(ख) ऐसे अभ्यर्थियों पर भी, जो अन्यथा अर्ह हैं, किन्तु जिन्होंने विदेशी विश्वविद्यालयों से उपाधि ली हो,जो ऐसे विश्वविद्यालय हैं, जिन्हें सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से मान्यता नहीं दी गई है, नियुक्ति प्राधिकारी के विवेकानुसार परीक्षा में उपस्थित होने के लिये विचार किया जा सकेगा।

(3) **फीस** – अभ्यर्थी को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विहित की गई फीस का भुगतान करना होगा.

9. निरर्हता –

(1) किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किन्हीं भी साधनों द्वारा समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा/ चयन/ साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिये निरर्हिता माना जाएगा।

(2) कोई उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक संतान हैं जिसमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 या उसके पश्चात् हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु ऐसा अभ्यर्थी निरर्हित नहीं होगा यदि उसकी एक सन्तान के जीवित रहते आगामी प्रसव में दो या दो से अधिक सन्तानों का जन्म होता है।

(3) कोई अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा जो महिलाओं के विरुद्ध अपराध के लिये दोष सिद्ध ठहराया गया हो:

परन्तु किसी अभ्यर्थी के विरूद्ध किसी न्यायालय में यदि ऐसे मामले लंबित हैं, तो उसकी नियुक्ति/पदोन्नति का मामला आपराधिक मामले के अंतिम विनिश्चिय होने तक लंबित रखा जाएगा.

(4) कोई भी अभ्यर्थी जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु सीमा से पूर्व विवाह कर लिया हो किसी भी सेवा या पद के लिए नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ।

10. **अभ्यर्थी की पात्रता के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा–** किसी अभ्यर्थी की परीक्षा/चयन के लिए पात्रता या अपात्रता के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चिय अन्तिम होगा तथा ऐसे किसी भी अभ्यर्थी को जिसे नियुक्ति प्राधिकारी ने प्रवेश प्रमाण–पत्र जारी नहीं किया हो, परीक्षा/चयन/साक्षात्कार में उपसंजात होने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

11. प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती –

(1) भर्ती के लिए प्रतियोगिता परीक्षा ऐसे अंतरालों से ली जाएगी, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी, विभाग के परामर्श से समय–समय पर, अवधारित करे।

(2) परीक्षा, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी आदेशों के अनुसार विभाग द्वारा संचालित की जाएगी।

(3) मध्य प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) में अंतर्विष्ट उपबंधो के अनुसार सीधी भर्ती के क्रम में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के लिए 16 प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत पद आरक्षित रखे जाएंगे तथा अन्य पिछड़े वर्गो के 14 प्रतिशत आरक्षित पद होंगे।

(4) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिए 30 प्रतिशत पद आरक्षित रखे जाएंगे तथा ऐसा आरक्षण क्षैतिज (होरीजोन्टल) एवं कम्पार्टमेंट वाइस होगा।

(5) ऐसे अभ्यर्थियों के लिए पद आरक्षित रखे जाएंगे जो निःशक्तजन हों या ऐसे अन्य प्रवर्गो के हों जैसा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाए। आरक्षण समस्तर रूप में और श्रेणी (होरीजोन्टल एण्ड कम्पार्टमेंट वाइस) अनुसार होगा।

स्पष्टिकरण– उपनियम (3) एवं (4) के प्रयोजन के लिए समस्तर रूप में तथा श्रेणी अनुसार आरक्षण से अभिप्रेत है प्रत्येक प्रवर्ग अर्थात् अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गो तथा अनारक्षित प्रवर्ग में आरक्षण।

(6) भूतपूर्व सैनिकों के लिए 16 प्रतिशत समस्तर रूप में और श्रेणी अनुसार आरक्षण एवं सीधी भर्ती में चतुर्थ श्रेणी के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण होगा ।

(7) निःशक्तजन के लिए आरक्षण.–

शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए दो प्रतिशत समस्तर रूप में और श्रेणी अनुसार दृष्टिबाधित निःशक्त जनों के लिए दो प्रतिशत तथा श्रवणबाधित निःशक्तजनों के लिए दो प्रतिशत आरक्षण होगा। आरक्षण के अधीन नियुक्त किए गए अभ्यर्थियों का प्रत्येक वर्ग सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र एक क्रमांक 8–52004/ए.पी.एस/1 दिनांक 31.03.2005 के अनुसार होगा।

(8) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गो के सदस्यो की नियुक्ति हेतु उसी क्रम में विचार किया जाएगा जिस क्रम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आए हों, भले ही अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो।

(9) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो के उन अभ्यर्थियों का, जिन्हें प्रशासन में दक्षता बनाए रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए विभाग द्वारा नियुक्ति के लिए योग्य घोषित किया गया हो, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा।

(10) यदि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो के अभ्यर्थी उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हों, तो शेष रिक्तियां सरकार की पूर्व अनुज्ञा के बिना किसी अन्य प्रवर्ग के अभ्यर्थियों से नहीं भरी जाएंगी और ये रिक्तियां अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आगामी चयन हेतु आरक्षित रखी जाएंगी।

(11)(क) ऐसे मामलों में, सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए कुछ कालावधि का अनुभव एक आवश्यक शर्तों के रूप में विहित किया गया हो और नियुक्ति प्राधिकारी की राय में यह पाया जाता है कि आरक्षित पदों पर भर्ती के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो सकेंगे वहां नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए अनुभव की शर्तों को शिथिल कर सकेगा।

(ख) (एक) सेवा के लिए अभ्यर्थी का चयन समय–समय पर सरकार द्वारा विनिश्चित कालावधि के पश्चात किया जाएगा।

(ग) चयन समिति, साक्षात्कार लेने के पश्चात, अभ्यार्थियों का चयन करेगी।

12. **चयन समिति द्वारा सिफारिश किए गए अभ्यर्थियों की सूची.–**

(1) चयन समिति, योग्यता के क्रम में ऐसे अभ्यर्थियों की एक सूची, जो ऐसे स्तर से अर्ह हों, जैसा कि चयन समिति द्वारा अवधारित किया जाए तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के ऐसे अभ्यर्थियों की एक सूची, जो यद्यपि उस स्तर से अर्हित नहीं हैं किन्तु जिन्हें प्रशासन में दक्षता बनाए रखने का समुचित ध्यान रखते हुए, चयन समिति द्वारा सेवा में नियुक्ति के लिये उपयुक्त घोषित किया गया हो, तैयार करेगी और नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित करेगी. यह सूची सर्वसाधारण की जानकारी के लिये भी प्रकाशित की जाएगी।

(2) इन नियमों तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिये उसी क्रम में विचार किया जाएगा. जिसमें कि उनके नाम सूची में आए हों।

(3) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किए जाने से ही उसे नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होगा, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसा कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान नहीं हो जाता कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है।

(4) चयन समिति द्वारा जारी चयन सूची, उसके जारी करने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के लिये विधिमान्य रहेगी।

13. **पदोन्नति द्वारा नियुक्ति –**

(1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति के लिए चयन करने हेतु अनुसूची–चार में उल्लिखित सदस्यों से मिलकर एक समिति गठित की जाएगी :

परन्तु यदि पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के संबंध में विभागीय पदोन्नति समिति की अध्यक्षता करने वाले सदस्यों से भिन्न नामनिर्दिष्ट सदस्यों में से सदस्य अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के प्रवर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं करता है तो उसी प्रास्थिति का अनुसूचित जाति या अनुसूचित जाति प्रवर्ग का एक सदस्य पदोन्नति समिति में सम्मिलित किया जाएगा और पदोन्नति समिति की सदस्य संख्या उस सीमा तक बढ़ाई जाएगी.

(2) अनुसूची–चार के कॉलम (2) विनिर्दिष्ट सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिए उसके कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट पदों पर पदोन्नति हेतु अभ्यर्थी की पात्रता चयन प्रक्रिया तथा पदोन्नति द्वारा नियुक्ति. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी नियम/अनुदेशों के अनुसार होगी ।

(3) विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक वर्ष में दो बार होगी ।

14. **पदोन्नति के लिए पात्रता की शर्तें. –**

(1) उप नियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, समिति, उन सभी व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की पहली जनवरी को उन पदों पर जिनसे कि पदोन्नति की जानी है, या जिन्हें सरकार द्वारा उनके समतुल्य घोषित किए गए किसी अन्य पद या पदों पर उतने वर्षों की सेवा (चाहे स्थानापन्न रूप मे या मूल रूप में) पूर्ण कर ली हो, जैसा कि अनुसूची–चार के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट है और जो उप–नियम (2) के उपबंधों के अनुसार विचारण क्षेत्र में आते हों ।

स्पष्टीकरण – पदोन्नति के लिए पात्रता हेतु संगणना की रीति :– संबंधित वर्ष की, जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति आहूत की जाती है, एक जनवरी को अर्हकारी सेवा की कालावधि की गणना, उस कलैण्डर वर्ष से की जायेगी, जिसमें लोक सेवक फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आता है और फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आने की तारीख से विचार नहीं किया जाएगा।

(2) पदोन्नति के लिये विचारण क्षेत्र सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी नियम/अनुदेशों के अनुसार होगी ।

15. **उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची का तैयार किया जाना –**

(1) समिति, ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी, जो नियम में विहित शर्तों को पूरा करते हों तथा जो समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति के लिए उपयुक्त समझे गए हों. यह सूची, चयन सूची तैयार किए जाने की तारीख से एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति/पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त होगी. उक्त चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की संख्या के 25 प्रतिशत व्यक्तियों को समाविष्ट करते हुए एक आरक्षित सूची भी पूर्वोक्त कालावधि के दौरान होने वाली अनवेक्षित रिक्तयों को भरने के लिये प्रस्तावित की जाएगी।

(2) चयन सूची तैयार करने के लिए मानदंड सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी नियम/अनुदेशों के अनुसार होगी।

(3) प्रत्येक चयन सूची के तैयार करते समय, चयन सूची में सम्मिलित किए गए व्यक्तियों के नाम अनुसूची–चार के कॉलम (2) में यथा विनिर्दिष्ट सेवा या पदों में ज्येष्ठता के क्रम में रखे जाएंगे।

स्पष्टीकरण – ऐसे व्यक्ति का, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित किया गया हो, किन्तु जो सूची की विधिमान्यता के दौरान पदोन्नत नहीं किया गया हो, केवल उसके पूर्वतर चयन के तथ्य से ही उन व्यक्तियों पर जिन पर पश्चात्वर्ती चयन में विचार किया गया है, ज्येष्ठता का कोई दावा नहीं होगा।

(4) इस प्रकार तैयार की गई सूची का प्रत्येक वर्ष पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण किया जाएगा।

(5) यदि चयन, पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण की प्रक्रिया में यह प्रस्तावित हो कि सेवा के किसी सदस्य का अधिक्रमण किया जाए तो समिति, प्रस्तावित अधिक्रमण के संबंध में अपने कारणों का लेखबद्ध करेगी।

16. चयन सूची –

(1) नियुक्ति प्राधिकारी, समिति से प्राप्त अन्य दस्तावेजों के साथ समिति द्वारा तैयार की गई सूची पर विचार करेगा और जब तक कि वह कोई परिवर्तन आवश्यक न समझें, सूची को अनुमोदित करेगा।

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी, समिति से प्राप्त सूची में कोई परिवर्तन करना आवश्यक समझे तो वह प्रस्तावित परिवर्तनों की सूचना समिति को देगा तथा समिति की टिप्पणियों को, यदि कोई हो, विचार में लेने के पश्चात्, सूची को ऐसे उपांतरणों के साथ, यदि कोई हों, अंतिम रूप से अनुमोदित कर सकेगा जो उसकी राय में न्यायसंगत तथा उचित हो।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित सूची, अनुसूची–चार के कॉलम (2) में उल्लिखित किए गए पदों से उक्त अनुसूची के कॉलम (3) में उल्लिखित किए गए पदों पर सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिये चयन सूची होगी।

(4) चयन सूची, सामान्यतः तब तक प्रवृत्त रहेगी जब तक कि नियम 16 के उप नियम (4) के अनुसार उसका पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण नहीं किया जाता किन्तु उसकी विधिमान्यता उसे तैयार किये जाने की तारीख से 18 मास की कुल कालावधि से अधिक नहीं बढ़ाई जाएगी:

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किए गए किसी व्यक्ति की ओर से आचरणया कर्तव्यों के निर्वहन में गंभीर चूक होने की दशा में, नियुक्ति प्राधिकारी की प्रेरणा पर चयन सूची का विशेष पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और समिति, यदि वह उचित समझे, तो ऐसे व्यक्ति का नाम चयन सूची से हटा सकेगी।

17. चयन सूची से सेवा में नियुक्ति –

(1) चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की सेवा के संवर्ग (काडर) के पदों पर नियुक्ति उसी क्रम में की जाएगी, जिसमें ऐसे अभ्यर्थियों के नाम चयन सूची में आए हों।

(2) किसी ऐसे व्यक्ति की, जिसका नाम सेवा की चयन सूची में सम्मिलित है, सेवा में नियुक्ति के पूर्व समिति से परामर्श करना सामान्यतः तब तक आवश्यक नहीं होगा जब तक कि चयन सूची में उसका नाम सम्मिलित किये जाने और प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की कालावधि के दौरान उसके कार्य में ऐसी गिरावट न आई हो, जिससे कि वह नियुक्ति प्राधिकारी की राय में सेवा में नियुक्ति के लिए उसे अनुपयुक्त हो गया हो ।

18. परिवीक्षा – सेवा में पदोन्नत किए गए प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा।

19. निर्वचन – यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो उसे सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

20. शिथिलीकरण –इन नियमों में की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के मामले जिसे ये नियम लागू होते हैं, राज्यपाल की, ऐसी रीति में, जो उसे न्यायसंगत तथा साम्यपूर्ण प्रतीत होती हो, कार्यवाही करने की शक्ति को सीमित या कम करती है:

परन्तु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जाएगा, जो कि इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिए कम अनुकूल हो।

21. रिकार्ड रखरखाव एवं नष्टीकरण – भर्ती का अभिलेख भर्ती की दिनांक से तीन वर्ष तक अथवा अगली भर्ती होने तक जो भी पहले हो सुरक्षित रखा जाएगा, तत्पश्चात् जब कोई प्रकरण या शिकायत किसी न्यायालय या सक्षम प्राधिकारी के पास लम्बित हो तो उसे पृथक् कर सील बंद लिफाफे में रखकर शेष अभिलेख नियमानुसार कमेटी बनाकर नष्ट किए जाने वाले अभिलेख को निर्धारित रजिस्टर में दर्ज किया जाकर नष्टीकरण की कार्यवाही की जाएगी।

22. निरसन तथा व्यावृत्ति – मध्यप्रदेश पुलिस तकनीकी कार्यपालिक (अराजपत्रित) सेवा भरती नियम, 1988 एतद्द्वारा, निरसित किए जाते हैं:

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया आदेश या की गई किसी कार्यवाई के संबंध में यह समझा जाएगा कि वह इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया आदेश या की गई कार्यवाई है।

अनुसूची "एक"
(नियम 5 देखिये)
सेवा का वर्गीकरण, वेतनमान तथा पदों की संख्या

अनु क्रमांक	पदों के नाम गृह पुलिस विभाग	भोपाल	इंदौर	कुल पद	प्रवर्ग	वेतनमान	नियुक्ति प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	अधीक्षक निरीक्षक (तकनीकी)	1	1	2	तृतीय श्रेणी	9300—34800 ग्रेड वेतन 4200	पुलिस उप महानिरीक्षक
2	अनुदेशक / प्रशिक्षण अधिकारी हिन्दी स्टेनोग्राफी ,सूबेदार (तकनीकी)	1	—	1	तृतीय श्रेणी	9300—34800 ग्रेड वेतन 3600	पुलिस उप महानिरीक्षक
3	अनुदेशक / प्रशिक्षण अधिकारी अंग्रेजी स्टेनोग्राफी सूबेदार (तकनीकी)	1	—	1	तृतीय श्रेणी	9300—34800 ग्रेड वेतन 3600	पुलिस उप महानिरीक्षक
4	अनुदेशक / प्रशिक्षण अधिकारी उपनिरीक्षक (भाषा हिन्दी)	1	—	1	तृतीय श्रेणी	9300—34800 ग्रेड वेतन 3600	पुलिस उप महानिरीक्षक
5	अनुदेशक / प्रशिक्षणअधिकारी उपनिरीक्षक (भाषा अंग्रेजी)	1	—	1	तृतीय श्रेणी	9300—34800 ग्रेड वेतन 3600	पुलिस उप महानिरीक्षक
6	अनुदेशक / (प्रशिक्षण अधिकारी) उपनिरीक्षक (व्यापार प्रबंधन)	1	—	1	तृतीय श्रेणी	9300—34800 ग्रेड वेतन 3600	पुलिस उप महानिरीक्षक
7	शिल्प अनुदेशक कनिष्ट, प्रशिक्षण अधिकारी उपनिरीक्षक (तकनीकी)	6	2	8	तृतीय श्रेणी	9300—34800 ग्रेड वेतन 3600	पुलिस उप महानिरीक्षक
8	शिल्प अनुदेशक वरिष्ठ, प्रशिक्षण अधिकारी उपनिरीक्षक (तकनीकी)	2	—	2	तृतीय श्रेणी	9300—34800 ग्रेड वेतन 3600	पुलिस उप महानिरीक्षक

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
9	अनुदेशक / प्रशिक्षण अधिकारी ट्रेड, इंजीनियरिंग ड्राइंग, गणित उप निरीक्षक (तकनीकी)	1	2	3	तृतीय श्रेणी	9300—34800 ग्रेड वेतन 3600	पुलिस उप महानिरीक्षक
10	अनुदेशक / प्रशिक्षण अधिकारी सामाजिक अध्ययन उप निरीक्षक (तकनीकी)	1	1	2	तृतीय श्रेणी	9300—34800 ग्रेड वेतन 3600	पुलिस उप महानिरीक्षक
11	कर्मशाला सहायक प्रधान आरक्षक (अ) (तकनीकी)	2	2	4	चतुर्थ श्रेणी	4400—7400 ग्रेड वेतन 1400	पुलिस उप महानिरीक्षक
12	छात्रावास अधीक्षक सहायक उप निरीक्षक (तकनीकी)	1	1	2	तृतीय श्रेणी	5200—20200 ग्रेड वेतन 2400	पुलिस उप महानिरीक्षक
13	भण्डार सहायक प्रधान आरक्षक (अ) (तकनीकी)	1	1	**02**	चतुर्थ श्रेणी	4400—7400 ग्रेड वेतन 1400	पुलिस उप महानिरीक्षक
	योग	**20**	**10**	**30**			

अनुसूची "दो"
(नियम 6 देखिये)
भर्ती का तरीका

अनु क्रमांक	सेवा में सम्मिलित सेवाया पदों के नाम	कुल पदों की संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या की प्रतिशतता			*अभ्युक्तियां*
			सीधी भरती द्वारा नियम (6) (क) देखिये	सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा नियम (6) (ख) देखिये,	अन्य सेवाओं से प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा नियम (6)(1)(ग)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	अधीक्षक निरीक्षक (तकनीकी)	2		75—25 प्रतिशत टिप्पणी के अनुसार		कृपया पाद टीप 1 से 3 देखें
2	अनुदेशक / प्रशिक्षण अधिकारी (हिन्दी स्टेनोग्राफी) सूबेदार (तकनीकी)	1	100 प्रतिशत	—	—	एकांगी प्रवर्ग

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	अनुदेशक/प्रशिक्षण अधिकारी (अंग्रेजी स्टेनोग्राफी) सूबेदार(तकनीकी)	1	100 प्रतिशत	–	–	एकांगी प्रवर्ग
4	अनुदेशक/प्रशिक्षण अधिकारी उपनिरीक्षक (भाषा हिन्दी)	1	100 प्रतिशत	–	–	एकांगी प्रवर्ग
5	अनुदेशक/प्रशिक्षण अधिकारी उप निरीक्षक (भाषा अंग्रेजी)	1	100 प्रतिशत	–	–	एकांगी प्रवर्ग
6	अनुदेशक/प्रशिक्षण अधिकारी (व्यापार प्रबंधन) उप निरीक्षक (तकनीकी)	1	100 प्रतिशत	–	–	एकांगी प्रवर्ग

अनु क्रमांक	सेवा में सम्मिलित सेवाया पदों के नाम	कुल पदों की संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या की प्रतिशतता			*अभ्युक्तियां*
			सीधी भरती द्वारा नियम (6) (क) देखिये	सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा नियम (6) (ख) देखिये,	अन्य सेवाओं से प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा नियम (6)(1)(ग)	
7	शिल्प अनुदेशक कनिष्ठ /प्रशिक्षण अधिकारी उप निरीक्षक (तकनीकी)	8	85 प्रतिशत	15 प्रतिशत	–	–
8	शिल्प अनुदेशक वरिष्ठ / प्रशिक्षण अधिकारी उप निरीक्षक (तकनीकी)	2	–	100 प्रतिशत	–	–

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9	अनुदेशक/ प्रशिक्षण अधिकारी (इंजी0 ड्राइंग /गणित/अलाइड) उप निरीक्षक (तकनीकी)	3	85 प्रतिशत	15 प्रतिशत		
10	अनुदेशक/प्रशिक्षण अधिकारी सामाजिक अध्ययन उप निरीक्षक (तकनीकी)	2	100 प्रतिशत			एकांगी प्रवर्ग
11	कर्मशाला सहायक प्रधान आरक्षक (अ) (तकनीकी)	4	100 प्रतिशत			
12	छात्रावास अधीक्षक सहायक उप निरीक्षक (तकनीकी)	2	100 प्रतिशत	—	—	एकांगी प्रवर्ग
13	भण्डार सहायक प्र0आर0 (अ) (तकनीकी)	2	85 प्रतिशत	15 प्रतिशत	—	
	योग	30				

पाद टीप :—

(1) ' अधीक्षक के 25 प्रतिशत पदों पर पदोन्नति ऐसे प्रशिक्षण अधिकारियों (ट्रेड, इंजीनियरिंग, ड्राईंग, गणित, अलाईड) से भरे जा सकेंगे जिन्होंने मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग में उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त किया हो तथा फीडर संवर्ग में पांच वर्षों का अनुभव हो।

(2) उस दशा में यदि सं.क्र. 1 के अभ्यर्थी उपलब्ध न हों तो रिक्तियां फिडिंग कॉडर की वरिष्ठता सूची से गैर डिप्लोमा/गैर (उपाधि) धारकों से भरी जा सकेंगी, इसी प्रकार यदि डिप्लोमा/ (उपाधि) धारक अभ्यर्थी की संख्या, भरे जाने वाले रिक्त पदों की संख्या से अधिक है तो शेष अभ्यर्थियों को फीडिंग कॉडर की संयुक्त वरिष्ठतानुसार सूची से गैर डिप्लोमा/गैर (उपाधि) धारक अभ्यर्थियों के साथ पदोन्नत किया जा सकेगा ।

(3) पदोन्नत प्रशिक्षण अधीक्षक की वरिष्ठता फीडिंग कॉडर की वरिष्ठता अनुसार होगी ।

अनुसूची "तीन"
(नियम 8 देखिये)
सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अर्हताएं तथा आयु सीमा

अनु क्रमांक	सेवा या पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	शैक्षणिक अर्हता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	(1) अनुदेशक / प्रशिक्षण अधिकारी, हिन्दी स्टेनोग्राफी, **,सूबेदार (तकनीकी)**	18	40	1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। 2. म.प्र. शीघ्र लेखन एवं मुद्रलेखन परीक्षा बोर्ड / अखिल भारतीय या राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से 100 शब्द प्रतिमिनट गति से हिन्दी शीघ्र लेखन एवं 25 शब्द प्रतिमिनट से हिन्दी मुद्रलेखन उत्तीर्ण होना चाहिए। 3. कम से कम 5 वर्ष का अनुभव, 4. कम्प्यूटर संचालन का ज्ञान होना चाहिए। सीपीसीटी के नियम भी लागू होगें।
	(2) अनुदेशक / प्रशिक्षण अधिकारी, अंग्रेजी स्टेनोग्राफी **,सूबेदार (तकनीकी)**	18	40	1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण, 2. म.प्र. शीघ्र लेखन एवं मुद्रलेखन परीक्षा बोर्ड / अखिल भारतीय या राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से 100 शब्द प्रतिमिनट गति से अग्रेंजी शीघ्र लेखन एवं 30 शब्द प्रतिमिनट से अंग्रेजी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। 3. कम से कम 5 वर्ष का अनुभव, 4. कम्प्यूटर संचालन का ज्ञान होना चाहिए। सीपीसीटी के नियम भी लागू होगें।
2	(1) अनुदेशक / प्रशिक्षण अधिकारी, **उप निरीक्षक** (भाषा हिन्दी)	18	40	1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी साहित्य में स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। 2 मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.एड. परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
	(2). अनुदेशक / प्रशिक्षण अधिकारी, **उपनिरीक्षक** (भाषा अंग्रेजी)	18	40	1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। 2 मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.एड. उत्तीर्ण होना चाहिए।
3	अनुदेशक / प्रशिक्षण अधिकारी, (व्यापार प्रबंधन) उप निरीक्षक (तकनीकी)	18	40	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.बी.ए. / एम.बी.ए. / एम.कॉम उत्तीर्ण होना चाहिए।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.	1.अनुदेशक / प्रशिक्षण अधिकारी, मैकेनिक(मोटर व्हीकल),मैकेनिक (डीजल) **उप निरीक्षक (तकनीकी).**	18	4.0	1. हाई स्कूल प्रमाण–पत्र या पुरानी पद्धति से 11 वीं उत्तीर्ण, 2. अभ्यर्थी को राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् / राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद्, से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण–पत्र / राज्य ट्रेड प्रमाण–पत्र या सुसंगत ट्रेड में राष्ट्रीय ट्रेड परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण–पत्र या मान्यता प्राप्तविश्वविद्यालय / बोर्डसे आटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिग्री (उपाधि) / डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए, 3 .अभ्यर्थी को सुसंगत व्यवसाय क्षेत्र में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए, 4. हल्के मोटर व्हीकल का लाइसेंस अनिवार्य है.।
	2.अनुदेशक / प्रशिक्षण अधिकारी, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, रेडियो तथा टी.व्ही. मैकेनिक **उप निरीक्षक (तकनीकी).**	18	40	1. हाई स्कूल प्रमाण–पत्र या पुरानी पद्धति से 11 वीं उत्तीर्ण, 2. अभ्यर्थी को राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् / राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद्, से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण–पत्र / राज्य ट्रेड प्रमाण–पत्र या सुसंगत ट्रेड में राष्ट्रीय ट्रेड परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण–पत्र या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / बोर्ड से इलेक्ट्रॉनिक्स टेली कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग में डिग्री (उपाधि) / डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए, 3 .अभ्यर्थी को सुसंगत व्यवसाय क्षेत्र में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	3.अनुदेशक / प्रशिक्षण अधिकारी, वेल्डर,एलाइड **उप निरीक्षक (तकनीकी)**	18	40	1. हाई स्कूल प्रमाण–पत्र या पुरानी पद्धति से 11 वीं उत्तीर्ण, 2. अभ्यर्थी को राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद्/ राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद, से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण–पत्र/राज्य ट्रेड प्रमाण–पत्र या सुसंगत ट्रेड में राष्ट्रीय ट्रेड परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण–पत्र या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से मैकेनिकल, प्रोडक्शन तथा मन्युफेक्चरिंग इंजीनियरिंग में डिग्री (उपाधि)/डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए, 3 . अभ्यर्थी को सुसंगत व्यवसाय क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए,
	4.अनुदेशक / प्रशिक्षण अधिकारी, स्वीइंग तकनीकी, ड्रेस मेकिंग, **उप निरीक्षक (तकनीकी)**	18	40	1 1. हाई स्कूल प्रमाण–पत्र या पुरानी पद्धति से 11 वीं उत्तीर्ण, 2. अभ्यर्थी को राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद्/ राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद, से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण–पत्र/राज्य ट्रेड प्रमाण–पत्र या सुसंगत ट्रेड में राष्ट्रीय ट्रेड परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण–पत्र या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से कास्ट्यूम डिजाइन तथा ड्रेस मेकिंग गारमेन्ट टेक्नालॉजी में डिग्री (उपाधि)/डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए, 3 . अभ्यर्थी को सुसंगत व्यवसाय क्षेत्र में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए,

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	5.अनुदेशक / प्रशिक्षण अधिकारी, इंजीनियरिंग ड्राइंग / गणित **उपनिरीक्षक (तकनीकी)**	18	40	1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से या समकक्ष हाई स्कूल प्रमाणपत्र या पुरानी पद्धति से 11 वीं (गणित, भौतिक शास्त्र एवं रसायन शास्त्र विषय) के साथ। 2. अभ्यर्थी को राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् / ड्राफ्समेन मेकेनिकल ट्रेड में अखिल भारतीय / राज्य व्यवसायिक परीक्षा उत्तीर्ण या राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण–पत्र परीक्षा उत्तीर्ण या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / बोर्ड से (उपाधि) / डिप्लोमा होना चाहिए। 3 ट्रेड से संबंधित कम से कम 3 वर्ष का अनुभव।
5	अनुदेशक / प्रशिक्षण अधिकारी (सामाजिक अध्ययन) **उपनिरीक्षक (तकनीकी)**	18	40	1. समाजशास्त्र / मनोविज्ञान में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण होनी चाहिए। 2. अनुभव अनिवार्य नहीं है किन्तु अनुभवी अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी ।
6	कर्मशाला सहायक **प्रधान आरक्षक (अ) (तकनीकी)**	18	40	1 हाई स्कूल प्रमाण–पत्र। 2. अभ्यर्थी को राष्ट्रीय / राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था से संबंधित व्यवसायों में अखिल भारतीय / राज्य व्यवसायिक परीक्षा उत्तीर्ण संबंधित व्यवसायों में अखिल भारतीय शिक्षुता उत्तीर्ण,

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7	छात्रावास अधीक्षक/ व्यायाम अनुदेशक **सहायक उप निरीक्षक (अ) (तकनीकी)**	18	40	1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण या उसके समकक्ष, 2 व्यायाम प्रशिक्षण (फिजीकल ट्रेनिंग) में डिप्लोमा या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक हो,
8	भंडार सहायक **प्रधान आरक्षक (अ) (तकनीकी)**	18	40	हाई स्कूल परीक्षा या समकक्ष

टीप :-

1 समस्त प्रशिक्षण अधिकारियों (ट्रेड, इंजीनियरिंग ड्राइंग, गणित ,एलाइट)को डी.जी.ई.टी. से एक वर्षीय अनुदेशक प्रशिक्षण उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा , जिन व्यवसायों में एक वर्षीय अनुदेशक प्रशिक्षण नही होता है और जिन व्यवसायों में यह प्रशिक्षण होता है किन्तु प्रशिक्षण अधिकारी को पांच वर्ष का अनुभव हो गया है उन्हे उच्च संस्थानों (डी.जी.ई.टी. के संस्थानों.) से तीन माह का प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग (Principles of Teaching) कोर्स उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा उक्त के अभाव में वेतन वृद्धि एवं उच्च पद पर पदोन्नति का लाभ नहीं दिया जा सकेगा ।

2. प्रशिक्षण अधिकारी, सूबेदार/उप निरीक्षक (तकनीकी) हिन्दी स्टेनोग्राफी, अंग्रेजी स्टेनोग्राफी ,भाषा हिन्दी भाषा अंग्रेजी,व्यापार प्रबंधन तथा सामाजिक अध्ययन के लिये विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा। यदि उपरोक्त वर्णित परीक्षा उत्तीर्ण नहीं हैं तो वे पदोन्नति या वेतन वृद्धि के पात्र नहीं होगें।

अनुसूची "चार"
(नियम 13 देखिये)
पदोन्नति हेतु अनुभव एवं अर्हताएं

अनुक्रमांक	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है ।	उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति हेतु सेवा की न्यूनतम कालावधि व अनुभव	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	अनुदेशक / प्रशिक्षण अधिकारी, उप निरीक्षक (तकनीकी)	अधीक्षक, निरीक्षक (तकनीकी)	5 वर्ष का अनुभव अनुदेशक उप निरीक्षक (तकनीकी) (ट्रेड,इंजीनियरिंग, ड्राइंग,गणित, एलाइड) (सामाजिक अध्ययन को छोड़कर)	पुलिस महानिरीक्षक, – अध्यक्ष उप पुलिस महानिरीक्षक संवर्ग के दो सदस्य (पुलिस महानिदेशक म.प्र. द्वारा नामांकित) विभागीय पदोन्नति नियमों के अनुसार
2	कर्मशाला सहायक, प्रधान आरक्षक (अ) (चतुर्थ–श्रेणी तकनीकी)	प्रशिक्षणअधिकारी उप निरीक्षक (तकनीकी)	5 वर्ष का अनुभव, कर्मशाला सहायक, प्रधान आरक्षक (अ) (तकनीकी) टीप– सिर्फ तभी पदोन्नति दी जाएगी जब पद रिक्त है तो तब ऐसी दशा में जब पदोन्नति दी जा सकेगी जब कनिष्ठ कर्मचारी के कुछ ग्रेड के पद रिक्त है। जब वह अन्य किसी व्यवसाय (ट्रेड) में उस समय वरिष्ठ है।	उप पुलिस महानिरीक्षक संवर्ग के तीन सदस्य इनमें से एक वरिष्ठ अध्यक्ष तथा अन्य दो सदस्य होंगे। विभागीय पदोन्नति नियमों के अनुसार।
3	भण्डार सहायक, प्रधान आरक्षक (अ) (चतुर्थ श्रेणी तकनीकी)	स्टोर कीपर, सहायक उप निरीक्षक (अ) (तकनीकी)	5 वर्ष का अनुभव भण्डार सहायक, प्रधान आरक्षक (अ) (चतुर्थ श्रेणी तकनीकी)	उप पुलिस महानिरीक्षक संवर्ग के तीन सदस्य इनमें से एक वरिष्ठ अध्यक्ष तथा अन्य दो सदस्य होंगे। विभागीय पदोन्नति नियमों के अनुसार।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. आर. भोंसले, उपसचिव.

Bhopal, the 7th December 2017

No 2(a)70/2012/B-4/II-In exercise of the powers conferred by the provison to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh,hereby, makes the following rules relating to the recruitment and conditions of service of the member of the Madhya Pradesh Police Technical Executive(Non-Gazetted) Class III Service, namely :—

RULES

1. Short Title and Commencement.—

(1) These rules may be called the Madhya Pradesh Police Technical Executive (Non-Gazetted) Class III Services Recruitment Rule, 2017.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Madhya Pradesh Gazette.

2. Definitions.—

In these rule, unless the context otherwise requires,—

(a) **"Appointing Authority"** means the authority as specified in column(8) of Schedule -I;

(b) **"Committee"** means a Departmental Promotion Committee as specified in Schedule IV;

(c) **"Director"** means Director General of Police, Madhya Pradesh;

(d) **"Examination"** means the competitive examination for recruitment to the service under Rule 11;

(e) **"Government"** means the Government of Madhya Pradesh;

(f) **"Governor"** means the Governor of Madhya Pradesh;

(g) **"Other Backward Classes"** means the Other Backward Classes of citizens as specified by the State Government *vide* Notification No.F-8-5-XXV-4-84, dated 26th December,1984 as amended from time to time;

(h) **"Schedule"** means the schedules appended to these rules;

(i) **"Scheduled Castes"** means any Caste, race or tribe or part of or group within a race or tribe specified as Scheduled Castes with respect to the State of Madhya Pradesh under Article 341 of the Constitution of India;

(j) **"Scheduled Tribes"** means any tribe, tribal community or part of group within a tribe or tribal community specified as Scheduled Tribes with respect to the State of Madhya Pradesh under Article 342 of the Constitution of India;

(k) **"Service"** means the Madhya Pradesh Police Technical Executive (Non-Gazetted) Service;

(l) **"State"** means the State of Madhya Pradesh.

3. Scope and Application.— Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Madhya Pradesh Civil Services (General Conditions of Services) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the service.

4. Constitution of the Service.—

The Service shall consist of the following persons, namely,—

(1) Persons, who at the commencement of these rules are holding substantively or in an officiating capacity, the posts specified in Schedule-I.

(2) Persons recruited to the Service before the commencement of these rules; and

(3) Persons recruited to the service in accordance with the provisions of these rules.

5. Classification, Scale of Pay etc. —

The Classification, the number of post included in the service and the Scale of Pay attached thereto, shall be as specified in Schedule-I :

Provided that the Government, may, from time to time add to or reduce the number of posts included in the Service either on a permanent or temporary basis

6. Methods of Recruitment—

(1) Recruitment to the Service, shall be made by the following methods, namely.—

(a) by direct recruitment through competitive examination or by Interview or by both;

(b) by Promotion of the members of the Service as specified in column (2) of schedule IV;

(c) by deputation or transfer of persons holding substantively on such post in such service as may be specified in this behalf by the State Government.

(2) The number of persons recruited under clause (a), (b) or clause (c) of sub-rule (1) shall not at any time exceed the percentage shown in Schedule II of the number of posts as specified in Schedule -I.

(3) Subject to the provisions of these rules the method or methods of filling any particular vacancy or vacancies in the service as may be required to be filled during any particular period of recruitment and the number of persons to be recruited by each method shall be determined on each occasion by the Appointing Authority in consultation with the Government.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), if in the opinion of the Appointing Authority the exigencies of the service so require, it may, with prior concurrence of General Administration Department, adopt such methods of recruitment to the service other than those specified in the said sub-rule, as it may prescribe by order issued in this behalf.

7. Appointment to the service.—

All Appointments in the Service, after the commencement of these rules, shall be made by the Appointing Authority and no such appointment shall be made except after selection by one of the methods of recruitment as specified in Rule-6.

8. Conditions of eligibility for direct recruitment.—

In order to be eligible for Selection/ Examination, a candidate must satisfy the following conditions, namely:—

(1) **Age.—**

(a) He must have attained the age as specified in Column (3) of Schedule III and not have attained the age specified in Column (4) of said Schedule on the first day of January next following the year in which Examination/Selection is to be held.

(b) The upper age limit shall be relaxable upto a maximum of *5* years if a candidate belongs to a the Scheduled Caste/Scheduled Tribe and Other Backward Classes.

(c) The upper age limit shall also be relaxable in respect of candidates who are or have been employees of the Madhya Pradesh Government to the extent and subject to the conditions specified below,—

(i) A Candidate who is a permanent Government Servant shall not be more than 45 years of age.

(ii) A Candidate holding a post temporarily and applying for another post should not be more than 45 years of age. This Concession shall also be admissible to contingency paid employees, work charged employee and employees working under the Project Implementing Committees.

(iii) A Candidate who is a retrenched Government Servant shall be allowed to deduct from his age the period of all temporary Service previously rendered by him up to a maximum limit of 7 years even if it represents more than one spell :

provided that, the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation .— The term "Retrenched Government Servant" denotes a person who was in temporary Government Service of the State or of any constituent units for a continuous period of not less than six months and who was discharged because of recommendation of the economic unit or due to normal reduction in the establishment not more than three years prior to the date of his registration at any Employment Exchange or an application made otherwise for employment in Government Service,

(iv) A Candidate, who is an ex-serviceman, shall be allowed to deduct from his age the period of all defence service previously rendered by him :

provided that, the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation.— The term "Ex- Serviceman" denotes a person who belongs to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a Continuous period of not less than six months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the Economy Unit or due to normal reduction in the establishment not more than three years before the date of his registration at any Employment Exchange or of application made otherwise for employment in Government service,—

(1) Ex-Serviceman released under mustering out concessions.

(2) Ex-Servicemen enrolled for the Second time and discharged on,—

(a) Completion of Short-term engagement;

(b) Fulfilling the conditions of enrolment.

(3) Ex-personnel of Madras Civil Unit.

(4) Officers (Military and Civil) discharged on completion of their contract, including short Service Regular Commissioned Officers.

(5) Officers discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies.

(6) Ex-Servicemen invalidated out of Service.

(7) Ex-Servicemen discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers.

(8) Ex-Servicemen who is medically, boarded out on account of Gun shot, wounds etc.

(d) The Upper Age limit shall be relaxable up to five years in respect of widow, destituted and divorced women candidates;

(e) The Upper Age limit shall be relaxable upto 5 years in respect of an awarded superior caste partner of a couple under the inter-cast marriage incentive programme of the Scheduled Tribal, Scheduled Cast and other Backward Classes Welfare Department;

(f) The Upper Age limit shall also be relaxable up to 5 years in respect of the persons who are "Vikram Award" holder candidates;

(g) The upper age limit shall be relaxable up to maximum 45 years of age in respect of candidates who are employees of Madhya Pradesh State Corporations / Boards.

(h) The upper age limit shall be relaxed in case of voluntary Home Guards and Non-Commissioned Officers of home Guards for the period of service rendered by them subject to the limit of 8 years but in no case their age should exceed 45 years.

(i) The upper age limit shall be relaxable upto ten years subject to a maximum of 45 years to a woman candidate in accordance with the provision of Madhya Pradesh Civil Services (special provision for appointment women) Rules, 1997.

Note (1) Candidates, who are found eligible for examination/selection under the age concessions mentioned in sub- clause (i) and (ii) of clause (a) of sub-rule (1) above shall not be eligible for appointment, if after submitting the applications, they resign from Services either before or after the examination/selection. They shall, however, continue to be eligible, if they are retrenched from service or post after submitting the applications. In no other case their age limit shall be relaxed.

Note (2) The departmental candidates must obtain previous permission of their Appointing Authorities to appear in Examination/Selection.

Note (3) In no case the maximum age limit shall exceed 45 year including all type of concessions for any category. The maximum age limit shall be calculated in accordance with the General Administration Department Circular no.3-11/12/13, dated 03-11-2012 and 20-11-2012.

(2) **Educational Qualifications.**— A Candidate must possess the educational qualifications prescribed for the service as specified in Schedule III.

Provided that.—

(a) In any exceptional case, the appointing authority may, on the recommen - dation of the Departmental Promotion Committee, treat as qualified any candidate, who, though not possessing any of the qualifications prescribed in this rule but has passed the examinations conducted by other institutions by such standard which in the opinion of the Appointing Authority justify the consideration of the candidate for examination / selection ; and

(b) Candidates, who are otherwise qualified but have taken degrees from foreign universities being universities not specifically recognized by the Government, may also be considered for appearing in the examination at the discretion of the Appointing Authority.

(3) **Fees.**—

The candidate must pay the fees prescribed by the Appointing Authority.

9. Disqualifications.—

(1) Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his / her candidature, by any means may be treated by the Appointing Authority as disqualification for appearing in the Examination / Selection/ Interview.

(2) No person shall be eligible for appointment to service or post, who has more than two living children, one of whom is born on or after the 26th January 2001:

Provided that no candidate shall be disqualifed for appointment to a service or post, who has already one living child and next delivery takes place on or after 26th January 2001, in which two or more than two children are born.

(3) No candidate shall be eligible for appointment to a Service or post who has been held convicted of on offence against women :

Provided that, where such cases are pending in a court against a candidate his case of Appointment/Promotion shall be kept pending till the final decision of the criminal case.

(4) No Candidate shall be eligible for appointment to service or post, who has married before the minimum age fixed for marriage.

10 The decision of the Appointing Authority as to the eligibility of a candidate shall be final.—

The decision of the Appointing Authority as to the eligibility or otherwise of a candidate for Examination / Selection shall be final and candidate to whom a certificate of admission has not been issued by the Appointing Authority shall not be allowed to appear in the Examination / Selection/Interview.

11. Direct Recruitment by Competitive Examination.-

(1) A competitive examination for recruitment shall be held at such intervals as the Appointing authority may, in consultation with the department from time to time, determine.

(2) The examination shall be conducted by the department in accordance with the orders issued by the Appointing Authority.

(3) There shall be 16 percent and 20 percent reserved posts for the persons belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and 14 percent for other Backward Classes at the stage of the direct recruitment in accordance with the provisions contained in the Madhya Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhda Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994).

(4) 30 percent posts shall be reserved for women candidates in accordance with the provisions of Madhya Pradesh Civil Services (Special provision for Appointment of Women's) Rules, 1997 and such reservation shall be horizontal and compartment wise.

(5) Posts shall be reserved for candidates who are disabled persons or for such other classes as may be determined by the State Government from time to time. The reservation shall be horizontal and compartment wise. Explanation. For the purpose of sub-rule (4) and (5) "horizontal and compartment-wise reservation" means reservation in each category namely, Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and unreserved.

(6) **Reservation for ex-servicemen.**-There will be 10% horizontal and compartment wise reservation for ex-servicemen in direct recruitment in Class III posts and 20% reservation for Class IV in direct recruitment.

(7) **Reservation for persons with disabilities.**-There will be two percent horizontal and compartment wise reservation for physically impaired and two percent for visually impaired persons with disability and two percent for hearing impaired persons with disabilities. Each category of candidate appointed under this reservation shall be in accordance with the G.A.D.'s Circular F.No.8-52004/A.Ps/1 dated 31-3-2005.

(8) In filling the vacancies so reserved, candidates who are members of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 12 irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

(9) Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes declared by the department to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency of administration may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, as the case may be.

(10) If sufficient number of candidates are not available to fill the vacancies reserved for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes then remaining vacancies shall not be filled by other category candidates without prior permission of the Government and these vacancies shall be kept reserved for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes for next selection.

(11) (a) In such cases, where experience of some period has been prescribed as an essential conditions for the posts to be filled in by direct recruitment and it is found in the opinion of the Appointing Authority that there is a possibility, the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes may not be available in sufficient number, the Appointing Authority may relax the condition of experience to the candidates of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes.

(b) (i) Selection of candidate for service will be done after duration decided by the Government from time to time.

(ii) The selection committee shall select the candidates after taking interview.

12. List of candidates recommended by the selection committee.—

(1) The selection committee shall prepare and forward a list to the Appointing Authority arranged in order of merit of the candidates, who have qualified by such standard as determined by the selection committee and a list of candidate belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, who, though not qualified by that standard, but are declared by the selection committee to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency in the Administration. The list shall also be published for general information.

(2) Subject to the provisions of these rules and of the Madhya Pradesh Civil Services (General Condition of Service) Rules, 1961, the candidates shall be considered for appointment to the available vacancies in the order in which their names appear in the list.

(3) The inclusion of a candidate's name in the list confers no right to appointment unless the Appointing Authority is satisfied, after such enquiry, as may be considered necessary that the candidate is suitable in all respects for appointment to the service.

(4) The select list, issued by the Selection Committee shall be legally valid for one year from the date of its issuance.

13. Appointment by promotion.—

(1) There shall be constituted a committee consisting of the members as mentioned in Schedule- IV, for making a selection for promotion of eligible candidates :

Provided that, if the nominated members other than the member presiding the Departmental Promotion Committee in respect of the post to be filled up by promotion do not represent the category of Scheduled Castes or Scheduled Tribes then one member belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Category of the same status shall be included in the Departmental Promotion Committee and the number of Departmental Promotion Committee shall be extended to that limit.

(2) The promotion of the members of service specified in column (2) of Scheduled-IV to the posts as specified in column (3) there to, the eligibility of candidate, selection process and appointment by promotion shall be made in accordance with the provision as specified in rules /instructions, issued from time to time by General Administration Department.

(3) The Departmental Promotion Committee meeting shall be held twice a year.

14. Conditions of eligibility for Promotion .—

(1) Subject to the provision of sub - rule (2), the committee shall consider the cases of all persons who on the 1st day of January of that year had completed such number of years of service (whether officiating or substantive) on the posts from which promotion is to be made or any other post or posts declared equivalent by the Government as specified in Column (4) of Schedule IV and are within the zone of consideration in accordance with the provisions of sub-rule (2).

Explanation.—Manner of computation for eligibility for promotion Period of qualifying service on the 1st January of the relevant year in which Departmental Promotion Committee is convened shall be counted from the calendar year, in which the public servant has joined the feeder cadre / part of service/pay scale of the post and not from the date of joining the cadre /part of service /pay scale of the post.

(2) The Zone of consideration for promotion, shall be as per rules/instructions, issued from time to time by General Administration Department.

15. Preparation of the list of suitable candidates.—

(1) The Committee this shall prepare a list of such persons who satisfy the conditions prescribed in Rule and are held by the committee to be suitable for promotion to the service.

The list shall be sufficient to cover the vacancies anticipated on account of retirement/promotion during the course of one year from the date of preparation of the selection list. A reserved list consisting of 25 percent of the number of persons included in the said select list shall also be proposed to meet the unforeseen vacancies occurring during the course of the aforesaid period.

(2) The criteria for preparation of select list shall be as per rules/instructions , issued from time to time by General Administration Department.

(3) The names of person included in the select list shall be arranged in the order of seniority in the service or posts as specified in column (2) of Schedule IV at the time of preparation of each select list.

Explanation.—A person whose name is included in the select list but who is not promoted during the validity of the list, shall have no claim to seniority over those considered in subsequent selection merely by the fact of his earlier selection.

(4) The list so prepared shall be reviewed or revised every year.

(5) If in the process of selection, review or revision, it is proposed to supersede any member of the service, the Committee shall record its reasons for the proposed supersession.

16. Select List.—

(1) The Appointing Authority shall consider the list prepared by the Committee along with other documents received from the committee and unless it considers any change necessary, approve the list.

(2) If the Appointing Authority considers it necessary to make any change in the list received from the committee, he shall inform the committee at the changes proposed and after taking in to account the comments, if any, of the committee, may approve the list finally with such modification if any, as may be just and proper. in its opinion.

(3) The list as finally approved by the Appointing Authority shall form the select list for promotion of the members of the service from the posts mentioned in Column (2) of Scheduled - IV to the posts mentioned is in Column (4) of said Schedule.

(4) The select list shall ordinarily be in force until it is reviewed or revised in accordance with sub-rule (4) of rule 16, but its validity shall not be extended beyond a total period of 18 months from the date of its preparation:

Provided that, in the event of a grave lapse in the conduct or performance of duties on the part of any person included in the select list, a special review of the select list may be made at the instance of the Appointing Authority and the committee may, if it thinks fit remove the name of such person from the select list.

17. Appointment in the Service from the select list.

(1) Appointment of the persons included in the select list to posts borne on the cadre of the service shall follow the orders in which the names of such persons appear in the select list.

(2) In general it shall not ordinarily be necessary to consult the committee before appointment of a person whose name is included in the select list to the service unless during the period intervening between the inclusion of name in the select list and the date of his proposed appointment, there occurs any deterioration in his work which in the opinion of the Government is such as to render him unsuitable for appointment to the service .

18. Probation.—Every person directly recruited to the service or appointed to the service by promotion shall be appointed on probation for a period of two years.

19. Interpretation.—If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the Government, whose decision there on shall be final.

20. Relaxation.— Nothing in these rules shall be constructed to limit or a bridge the powers of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules apply, in such manner as may appear to him to be just and equitable:

Provided that the case shall not be dealt with in any manner less favorable to him than that provided in these rules.

21. Record Elimination .— The relevent record shall be kept for 3 years from the date of recruitment or till next recruitment which ever is earlier there after record shall be eliminated but when a case or complaint is found pending before any court or competent authority then such individual record shall be kept in a sealed envelope till the final disposal of such complaint or case and other records shall be destroyed in presence of a committee formed by head of the department after made entry in the register made for said purpose.

22. Repeal and Saving.— The Madhya Pradesh Police Technical Executive (Non-Gazetted) Service Recruitment Rules 1988 is, hereby, repealed :

Provided that, any order made any action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

SCHEDULE - I

(See Rule 5)

CLASSIFICATION, SCALE OF PAY AND NUMBER OF POSTS

S N O	NAME OF POST HOME POLICE DEPTT-	BHOPAL	INDORE	TOTAL POST	CATAGARY	PAY SCALE	APPOINTING AUTHORITY
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	SUPERINTENDENT INSPECTER (TECHNICAL)	1	1	2	Class III	9300-34800 Pay Gr. 4200	DIG
2	INSTRUCTOR /TRAINING OFFICER HINDI STENOGRAPHY SUBEDAR (TECHNICAL)	1	-	1	Class III	9300-34800 Pay Gr. 3600	DIG
3	INSTRUCTOR /TRAINING OFFICER ENGLISH STENOGRAPHY SUBEDAR (TECHNICAL)	1	-	1	Class III	9300-34800 Pay Gr. 3600	DIG
4	INSTRUCTOR /TRAINING OFFICER SUB INSPECTOR (LANGUAGE HINDI)	1	-	1	Class III	9300-34800 Pay Gr. 3600	DIG
5	INSTRUCTOR/TRAINING OFFICER SUB INSPECTOR (LANGUAGE ENGLISH)	1	-	1	Class III	9300-34800 Pay Gr. 3600	DIG
6	INSTRUCTOR /TRAINING OFFICER SUB INSPECTOR (TECHNICAL) BUISNESS MANAGEMENT	1	-	1	Class III	9300-34800 Pay Gr. 3600	DIG
7	CRAFT INSTRUCTOR JUNIOR, /TRAINING OFFICER SUB INSPECTOR (TECHNICAL)	6	2	8	Class III	9300-34800 Pay Gr. 3600	DIG

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
8	CRAFT INSTRUCTOR SENIOR/TRAINING OFFICER SUB INSPECTOR (TECHNICAL)	2	-	2	Class III	9300-34800 Pay Gr. 3600	DIG
9	INSTRUCTOR/TRAINING OFFICER TRADE, ENGINEERING DRAWING, MATHS SUB INSPECTOR (TECHNICAL)	1	2	3	Class III	9300-34800 Pay Gr. 3600	DIG
10	INSTRUCTOR/TRAINING OFFICER SOCIAL STUDY SUB INSPECTOR (TECHNICAL)	1	1	2	Class III	9300-34800 Pay Gr. 3600	DIG
11	WORK SHOP ASSISTANT HEAD CONSTABLE (M) (TECHNICAL)	2	2	4	Class IV	4400-7400- Pay Gr. 1400	DIG
12	HOSTEL SUPERINTENDENT ASSISTANT SUB INSPECTOR (TECHNICAL)	1	1	2	Class III	5200-20200- Pay Gr. 2400	DIG
13	STORE ASSISTANT HEAD CONSTABLE (M) (TECHNICAL)	1	1	2	Class IV	4400-7400- Pay Gr. 1400	DIG
	TOTAL	20	10	30			

SCHEDULE - II

(See Rule 6)

METHOD OF RECRUITMENT

S. No.	Name of the service or posts included in the service	Total No of Posts	Percentage of the No. of posts to be filled			Re-marks
			By direct Recruit-ment See rule 6 (a)	By promotion of members service [See Rule 6 (b)]	By Deputa-tions or Transfer from other services See Rule (6)(1) (C)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	SUPERINTENDENT INSPECTER (TECHNICAL)	2	-	75-25% According to the foot note	2	Please see foot note from 1 to 3
2	INSTRUCTOR/TRAINING OFFICER HINDI STENOGRAPHY SUBEDAR (TECHNICAL)	1	100%			Single cadre
3	INSTRUCTOR/TRAINING OFFICER ENGLISHSTENOGRAPHY SUBEDAR (TECHNICAL)	1	100%			Single cadre
4	INSTRUCTOR/TRAINING OFFICER SUB INSPECTOR (LANGUAGE HINDI)	1	100%			Single cadre
5	INSTRUCTOR/TRAINING OFFICER SUB INSPECTOR (LANGUAGE ENGLISH)	1	100%			Single cadre
6	INSTRUCTOR/TRAINING OFFICER (BUISNESS MANAGEMENT) SUB INSPECTOR (TECHNICAL)	1	100%	-	-	Single cadre
7	CRAFT INSTRUCTOR JUNIOR, /TRAINING OFFICER SUB INSPECTOR (TECHNICAL)	8	85%	15%		-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8	CRAFT INSTRUCTOR SENIOR, /TRAINING OFFICER SUB INSPECTOR (TECHNICAL)	2	-	100%	-	-
9	INSTRUCTOR/TRAINING OFFICER(ENGG.DRAWIN G/MATH/ALIED) SUB INSPECTOR (TECHNICAL)	3	85%	15%		-
10	INSTRUCTOR/TRAINING OFFICER SOCIAL STUDY SUB INSPECTOR (TECHNICAL)	2	100%			Single cadre
11	WORK SHOP ASSISTANT HEAD CONSTABLE (M) (TECHNICAL)	4	100%			-
12	HOSTEL SUPERINTENDENT ASSISTANT SUB INSPECTOR (TECHNICAL)	2	100%	-	-	Single cadre
13	STORE ASSISTANT HEAD CONSTABLE (M) (TECHNICAL)	2	85%	15%	-	-
	TOTAL	30				

Foot Note :-

(1) 25% post of Superintendent can be filled by Training Officer's of Trades-Engg. Drawing, Mathematics, Allied, who have obtained degree or diploma in Engineering trade from Recognized University or Board and have 5 years experience in feeding cadre.

(2) In case, the candidates of S. No. 1 are not available, the vacancies can be filled from the seniority list of feeding cadre of Non Diploma/Degree Holders. In the same way, if the Diploma/Degree Holder candidates are more than vacancies, to be filled, the remaining candidate can be promoted with the Non Diploma/Degree Holder candidate from combined seniority list of feeding cadre.

(3) The seniority of promoted training Superintendent shall be according to the seniority of the feeding cadre.

SCHEDULE - III

(See Rule 8)

ESSENTIAL QUALIFICATOION AND AGE LIMIT FOR DIRECT RECRUITMENT

S. No.	Name of Service or Post	Minimum Age Limit	Maximum Age Limit	Educational Qualification
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	(1) INSTRUCTOR/ TRAINING OFFICER Stenography Hindi **Subedar (Technical)**	18	40	1. Should have passed Graduation from recognized University. 2. Should have passed Shorthand Hindi (100 W.P.M.) and Hindi Typing (25 W.P.M.) from M.P. Board of Shorthand & Typing or National Council for Vocational Training or State Council for Vocational Training. 3. At least 5 Years experience. 4. Should have knowledge in computer operation. CPCT rule will apply
	(2) INSTRUCTOR/ TRAINING OFFICER Stenography English **Subedar (Technical)**	18	40	1. Should have passed Graduation from recognized University. 2. Should have passed Shorthand English (100 W.P.M.) and English Typing (30 W.P.M.) from M.P. Board of Shorthand & Typing or National Council for Vocational Training or State Council for Vocational Training. 3. At least 5 Years experience. 4. Should have knowledge in computer operation. CPCT rule will apply.
2.	(1) INSTRUCTOR/ TRAINING OFFICER(Language Hindi) **Sub-Inspector, (Technical)**	18	40	1. Should have passed Graduation from recognized Universitywith Hindi literature 2. Should have passed B.Ed. from recognized University .
	(2) INSTRUCTOR/ TRAINING OFFICER(Language English) **Sub-Inspector, (Technical)**	18	40	1. Should have passed Graduation from recognized University with English literature 2. Should have passed B.Ed. from recognized University .

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	INSTRUCTOR/ TRAINING OFFICER (Business Management) **Sub-Inspector, (Technical)**	18	40	B.B.A/M.B.A/M.Com. Passed from recognized University.
4	1.INSTRUCTOR/ TRAINING OFFICER Mechanic (Mototor Vehicle) Mechanic (Diesel) **Sub-Inspector, (Technical)**	18	40	1. High School Certificate or 11th pass old pattern. 2. The Candidate should have passed National Trade Certificate/State Trade Certificate from National Council for Vocational. Training/State Council for Vocational Training, or National Apprentice Certificate from National Council for Vocational Training in relevant Trade or Degree/Diploma in Automobile Engineering from recognized University or Board. 3. The candidate should have at least 3 years experience in trade Relevant Field. 4. Licence of Light Motor Vehicle essential.
	2.INSTRUCTOR/ TRAINING OFFICER (Electronics Mechanic, Mechanic,Radio & Television) **Sub-Inspector, (Technical)**	18	40	1. High School Certificate or in old pattern llth pass from any recognized board or Equivalent. 2. The Candidate should have passed National Trade Certificate/State Trade Certificate from National Council for Vocational Training/ State Council for Vocational Training, or National Apprentice Certificate from National Council for Vocational Training in relevant Trade or Degree/Diploma in Electronics / Electronics & Telecommunication Engineering from recognized University or Board. 3. The candidate should have at least 3 years experience in trade Relevant Field.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	3.INSTRUCTOR/ TRAINING OFFICER Welder,Alited **Sub-Inspector, (Technical)**	18	40	1. High School Certificate or 11th pass old pattern. 2. The Candidate should have passed National Trade Certificate/State Trade Certificate from National Council for Vocational Training/State Council for Vocational Training, or National Apprentice Certificate from National Council for Vocational Training in relevant Trade or Degree/Diploma in Mechanical Production and Manufacturing Engineering from recognized University or Board. 3. The candidate should have at least 3 years experience in trade Relevant Field.
	4. INSTRUCTOR/ TRAINING OFFICER Sewing Technology **Sub-Inspector, (Technical)**	18	40	1. High School Certificate or 11th pass old pattern. 2. The Candidate should have passed National Trade Certificate/State Trade Certificate from National Council for Vocational Training/State Council for Vocational Training. Or National Apprentice Certificate from National Council for Vocational Training in relevant Trade or Degree/Diploma in Costume Design and Dress Making/Garment Technology from recognized University or Board. 3. The candidate should have at least 3 years experience in trade Relevant Field.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	5.INSTRUCTOR/ TRAINING OFFICER Math,Drawing, **Sub-Inspector, (Technical)**	18	40	1. High School Certificate or 11th pass old pattern from any recognized board or Equivalent.(with Math's Physics,Chemistry subjects) 2. The Candidate should have passed National Trade Certificate/State Trade Certificate from National Council for Vocational Training/State Council for Vocational Training. Or National Apprentice Certificate from National Council for Vocational Training in Draughtsman Mechanical or Degree/Diploma in Mechanical Engg. from recognized University/Board. 3. At least 3 years concerned trade experience..
5	.INSTRUCTOR/ TRAINING OFFICER (Social Studies). **Sub-Inspector, (Technical)**	18	40	1. Should have passed Graduation in Sociology Or Psychology from recognized University. 2. Experience not compulsory but candidate have in experience will be given preference.
6	Workshop Assistant. **HeadConstable(M) (Technical)**	18	40	1. High School Certificate 2. The Candidate should have passed National Trade Certificate/State Trade Certificate from National Council for Vocational Training/ State Council for Vocational Training, or National Apprentice Certificate from National Council for Vocational Training in relevant Trade
7	Hostel Superintendent Cum P.T.I. Assistant Sub Inspector (Technical)	18	40	1. High School from any recognized Board or Equivalent. 2. Diploma in Physical Training or Graduate from recognized University.
8	Store Assistant. **HeadConstable(M) (Technical)**	18	40	.High School Certificate or Equivalent.

Note :— It shall be Compulsory to pass One Year's Training Course from Advanced Training Institute / Central Training Institute from DGE&T to all the Training Officer's (Trade , Engineering Drawing , Math's, Allied). In those trades, in which one year's course is not available, and in those trade where one year's course is available but the Trade Training Officer's concerned have completed 5 years of service, they must have to pass only Principle of Teaching Course of 3 months from Advanced Training Institute/Central Training Institute/DGE&T, otherwise they shall not be entitled for further promotion and increment.

Note.— Training Officer's Subedar/sub-Inspector (Technical) Stenography Hindi Stenography English Languge Hindi/English and Business Management and Social study under must pass Departmantal examination. If the above mentioned exam is not cleared they shall not be entitled for promotion or increment.

SCHEDULE –IV
(See Rule 13)

EXPERIENCE AND QUALIFICATION REQUIRED FOR PROMOTION

S. No.	Name of Service or post to promotion	Name of Service of post of promotion	Qualification / Experience for promotion	Member of Departmental Promotion Committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	INSTRUCTOR/ TRAINING OFFICER Sub Inspector (Technical)	Superintendent, Inspector (Technical)	5 years INSTRUCTOR/TRAINING OFFICER Sub Inspector (Technical) (Trade,Engineering Drawing,Math's, Allide) (Excluding Social studies)	President I.G. Two members of DIG Cader (Nominated by DGP) As per Deparmental.Promotion Rule.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	Workshop Attendant Headconstable(M) (Class-IV Technical	INSTRUCTOR/TRAINING OFFICER (Sub Inspector Technical)	5 years Workshop attendant Headconstable(M) (Class-IV Technical) Note. – Promotion will only be given if post are vacant. In case post are vacant in some grade where the Junior can be promoted even it a senior of another trade is time.	Three Members of DIG Cader Senior One President and other two members. As per Deparmental.Promotion Rule.
3.	Store Assistant Headconstable(M) (Class-IV Technical)	Store Keeper Assistant Sub Inspector (M) (Technical)	5 years Store Assistant Headconstable(M) (Class-IV Technical)	Three Members of DIG Cader Senior One President and other two members . As per Deparmental.Promotion Rule.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. R. BHONSLE, Dy. Secy.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 8 दिसम्बर 2017

क्रमांक.एफ.03–01/2017/बी–3/दोः गृह (पुलिस) विभाग की अधिसूचना क.एफ.5–18/95/बी–3/दो दिनांक 12 जुलाई 1995 द्वारा प्रकाशित सड़क सुरक्षा कोष नियमावली–1995 को अधिक्रमित करते हुए तत्स्थानी मध्यप्रदेश सड़क सुरक्षा नीति 2015 के बिन्दु क्रमांक 4.2.1.2 के अंतर्गत राज्य सड़क सुरक्षा कोष के सुदृढ़ीकरण के लिये मध्यप्रदेश सड़क सुरक्षा कोष की स्थापना संबंधी नियम राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किये जाते है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. आर. भोंसले, उपसचिव.

मध्यप्रदेश सड़क सुरक्षा कोष नियम–2017

1.संक्षिप्त नाम तथा लागू होनाः–

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ''मध्यप्रदेश सड़क सुरक्षा कोष नियम 2017'' है।

(2) यह नियम मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, प्रवृत्त होंगे।

2.उद्देश्यः–

सड़क सुरक्षा कोष की स्थापना, मध्य प्रदेश राज्य सडक सुरक्षा नीति 2015 के अनुसरण में, प्रदेश में सड़क सुरक्षा के उपायों, जिनमें यातायात यांत्रिकी उपाय, यातायात शिक्षा एवं जन जागरूकता संबंधी गतिविधियां, यातायात प्रवर्तन (Traffic Enforcement measures) संबंधी उपाय, आपातकालीन देखभाल संबंधी उपाय भी सम्मिलित हैं, के क्रियान्वयन के लिये की जा रही है। इस कोष के माध्यम से, मध्यप्रदेश राज्य की सीमा के अन्दर स्थित सड़क मार्गो पर यातायात संचालन/सुरक्षा के उपायों के क्रियान्वयन के लिये, राशि का उपयोग किया जा सकेगा।

3.परिभाषायें:– इन नियमों में जब तक यह कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न होः–

(1) ''कोष'' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश सड़क सुरक्षा कोष,

(2) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है मोटरयान अधिनियम 1988,

(3) ''वर्ष'' से अभिप्रेत है वित्तीय वर्ष,

(4) ''कोष नियंत्रक'' से अभिप्रेत है सचिव, म0प्र0शासन, गृह विभाग,

(5) ''राज्य सड़क सुरक्षा कार्यकारिणी समिति'' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश सड़क सुरक्षा के प्रयोजन के लिये शासन द्वारा गठित समिति,

(6) ''सड़क मार्ग'' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश राज्य की सीमा के अन्दर स्थित सड़क मार्ग जो परिवहन के प्रयोजन के लिये उपयोग में लाये जाते है,

(7) ''सुरक्षा'' से अभिप्रेत है सड़क मार्ग से परिवहन के लिये सुरक्षात्मक (Preventive) उपाय,

(8) ''यातायात यांत्रिकीय'' से अभिप्रेत है यातायात के लिये आधुनिक संसाधन तथा तकनीक का उपयोग,

(9) ''यातायात शिक्षा'' से अभिप्रेत है यातायात से संबंधित नियमों का सम्यक ज्ञान,

(10) ''यातायात प्रवर्तन'' से अभिप्रेत है यातायात के सुचारू संचालन के लिये आवश्यक उपाय,

(11) ''आपातकालीन देखभाल'' से अभिप्रेत है सड़क मार्ग से यातायात आदि के कारण आकस्मिक परिस्थितियां जिसमें चिकित्सकीय तथा अन्य देख रेख भी सम्मिलित है,

4.निधि का गठनः—

कोष की स्थापना लोक लेखा शीर्ष 8235—सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधि—200—अन्य निधियॉ—(1416) सड़क सुरक्षा निधि, में की जावेगी जिसका गठन निम्नानुसार के माध्यम से प्राप्त राशि से किया जायेगा :—

(1) राज्य शासन से प्राप्त राशि।

(2) भारत सरकार, अन्तर्राष्ट्रीय फण्ड से सड़क सुरक्षा के लिये दिये गये अनुदान, कार्पोरेट सोशल रिसपान्सिबिलिटि (सी.एस.आर) से प्राप्त राशि तथा अन्य स्वेच्छिक संगठनों से प्राप्त राशि।

(3) राज्य शासन, गृह (पुलिस) विभाग द्वारा मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत वसूल किये गये शमन शुल्क के अन्तरण द्वारा।

<u>5.निधि का प्रबंधन</u> :—

(क) सड़क सुरक्षा कोष के नियंत्रक, सचिव, गृह होंगे तथा वह सड़क सुरक्षा से संबंधित क्रिया कलापों में राज्य सड़क सुरक्षा कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन उपरान्त निम्नानुसार गतिविधियों के लिए क्रियान्वयन एजेंसी को राशि जारी करेंगे :—

(1) राज्य के सड़क मार्गो में सुरक्षा संबंधी गतिविधियों में व्यय,

(2) सड़क सुरक्षा कोष के लिये निधि संग्रहण के लिये विभिन्न उपायों (Measures) को लागू करना,

(3) सड़क सुरक्षा के लिये आवश्यक मरम्मत एवं सुधार,

(4) यातायात यांत्रिकी तथा सड़क सुरक्षा से संबंधित कार्यो के लिये उपयुक्त बाह्य एजेन्सी/विशेषज्ञ सलाहकार की सेवायें प्राप्त करने के लिए,

(5) यातायात, शिक्षा एवं जन जागरूकता बढ़ाने संबंधी उपाय यथा यातायात शिक्षा पार्क की स्थापना एवं रखरखाव, यातायात शिक्षा से संबंधी विभिन्न जनोपयोगी सामग्री का क्रय वितरण एवं प्रचार प्रसार का कार्य,

(6) सड़क सुरक्षा से संबंधित विभिन्न गतिविधियों में शासकीय, अशासकीय, संगठनों,

शासकीय सेवकों तथा गणमान्य नागरिकों, विद्यार्थियों आदि को संबंद्ध करने, उनको सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने संबंधी आयोजनों में सहभागिता, प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था।

(7) लोक प्रिय व्यक्तियों (Celebrity Endorsement) तथा अन्य जनसुलभ प्रचलित मीडिया माध्यम द्वारा यातायात सुरक्षा के नियमों को जन सामान्य में प्रचारित करना,

(8) सड़क सुरक्षा के अन्तर्गत आपातकालीन स्थिति यथा दुर्घटना आदि में, उपयुक्त चिकित्सा व्यवस्था के लिये निकटस्थ ट्रामा सेन्टर से समन्वय तथा परिवहन हेतु,

(9) अन्यथा उपलब्ध न होने की दशा में, आकस्मिक एवं त्वरित कार्यवाही हेतु द्रुत निकाय वाहनों (quick evacuation vehicle) एवं संबंधित उपकरणों का क्रय एवं रख रखाव,

(10) सड़क सुरक्षा में सराहनीय योगदान देने वाले संबंधित शासकीय सेवक/जन सामान्य को प्रोत्साहन स्वरूप उपयुक्त पारितोषिक की स्वीकृति,

(11) राज्य शासन के बजट शीर्ष मांग संख्या 03–2055–800–1416–राज्य सड़क सुरक्षा निधि से राशि आहरित कर निधि में लेखा अन्तरण की जायेगी, जिसे उसी मांग संख्या के बजट में पुनप्राप्ति में दर्शाया जायेगा।

(12) मांग संख्या 03–मुख्य शीर्ष 2055–800–8333–राज्य सड़क सुरक्षा योजना से राशि आहरित कर व्यय की जायेगी जिसकी प्रतिपूर्ति हेतु सड़क सुरक्षा कोष के शीर्ष 8235–200–(1416)–सड़क सुरक्षा शीर्ष निधि में राशि अन्तरण का आदेश गृह विभाग द्वारा समय–समय पर वित्त विभाग की सहमति से जारी किया जायेगा।

6.निधि का लेखा तथा अंकेक्षण :–

(1) निधि का नियंत्रक एवं संबंधित कियान्वयन एजेंसी इस निधि में प्राप्त तथा संवितरित राशि का विधिवत लेखा और अन्य संबंधित अभिलेखों का संधारण करना सुनिश्चित

करेगें तथा लेखाओं का वार्षिक लेखा प्रतिवेदन वर्षान्त तैयार करेंगे जिसमें उपयोगिता प्रमाण पत्र, आय व्यय का लेखा आदि राज्य शासन के लोक लेखा के अनुरूप होंगे।

(2) कोष के लेखाओं का परीक्षण महालेखाकार द्वारा, उनके द्वारा निर्धारित की गई अन्तराल अवधि के पश्चात् किया जा सकेगा।

7.सामान्यः—

यह नियम एतदद्वारा मध्यप्रदेश सड़क सुरक्षा कोष नियमावली 1995 के स्थान पर अधिक्रमित कर लागू किये जा रहे हैं ।

8.निर्वचनः—

इन नियमों की व्याख्या के संबंध में कोई प्रश्न उपस्थित होने पर मध्यप्रदेश शासन के गृह विभाग द्वारा स्पष्टीकरण जारी किया जायेगा जो अंतिम होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. आर. भोंसले, उपसचिव.

Bhoapl the 8th December 2017

No. F – 03 – 01 / 2017/ B-3/two: In order to strengthen the State Road Safety Fund under para 4.2.1.2 of Madhya Pradesh Road Safety Policy 2015 and in supersession of the Madhya Pradesh Road Safety Fund Rules 1995, the State Government hereby makes the following rules, namely

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. R. BHONSLE, Dy. Secy.

Madhya Pradesh Road Safety Fund Rules – 2017

1. **Short Title and Commencement**:-

(1) These Rules may be called "Madhya Pradesh Road Safety Fund Rules, 2017".

(2) These Rules shall come into force from the date of publication in the official Gazette.

2. **Objective**:-

The "Road Safety Fund" is being constituted under the provisions of Madhya Pradesh Road Safety Policy 2015, to implement Road Safety measures such as, transport engineering measures, activities related to transport education, activities for creating awareness among people, traffic enforcement measures as well as including emergency care measures. Through this, funds shall be utilized for implementing the transport operations and safety related measures on the roads within the territory of Madhya Pradesh.

3. **Definitions**:- In these rules, unless the context otherwise requires:-

(1) "Fund" means Madhya Pradesh Road Safety Fund.

(2) "Act" means Motor Vehicle Act, 1988.

(3) "Year" means the Financial Year.

(4) "Fund Controller" means Secretary to Government of Madhya Pradesh, Home Department.

(5) "Madhya Pradesh Road Safety Executive Committee" means the committee constituted by Government of Madhya Pradesh for Road Safety in Madhya Pradesh.

(6) "Road Way" means the Roads within the territory of Madhya Pradesh, which are used for purpose of transportation.

(7) "Safety" means Preventive Measures taken for safe road transport.

(8) "Transport Engineering" means use of modern resources and latest technology for transportation.

(9) "Transport Education" means appropriate knowledge of rules related to transportation.

(10) "Transport Enforcement" means measures taken to ensure smooth transport operations.

(11) "Emergency Care" means care taken during emergency situations created during Road Transportation which includes medical and other care.

4. **Creation of the Fund/Receipts** :-

Creation of the Fund shall be under Public Account Head 8235 – General and Other Reserve Fund – 200 – Other Funds – (1416) Road Safety Fund, which shall be created from the amount received through following:-

(1) Grant received from State Government.

(2) Grants received from the Government of India, International Organisation, Corporate Social Responsibility (CSR) or any other Non-Profitable Organisations for the purpose of Road Safety.

(3) By transfer of Compounding Fees under Motor Vehicle Act, recovered by Home (Police) Department, Government of MP.

5. **Management of Fund**:-

(a) The Controller of the Road Safety Fund shall be Secretary, Home Department, Government of Madhya Pradesh, and he shall release funds to the executing agency in respect of the tasks and actions related to Road Safety, post approval from the "Madhya Pradesh Road Safety Executive Committee", in respect of following tasks and actions related to Road Safety :-

(1) Expenses towards activities related to Road Safety for the roads within the state.

(2) Implementation of various measures for collection of funds for the Road Safety Fund.

(3) Expenses towards necessary repair and development works for Road Safety.

(4) Hiring of services of appropriate external agency/specialist consultant for works related to Transport Engineering and Road Safety.

(5) Measures for enhancing Transport Education and Public Awareness and establishing and maintaining Transport Education Park, works related to purchase and distribution of material related to Transport Education and of public benefit and works related to publicity and spreading awareness.

(6) Encouraging involvement of government, non-government organisations, government employees, prominent citizens, students in various activities related to Road Safety and involving them in the functions and events organized for creating awareness about Road Safety, and in arrangements for related trainings.

(7) Publicizing Traffic Safety Rules among common man through Celebrity Endorsement and other available media.

(8) Transportation to and coordination with the nearest trauma centre for appropriate medical treatment in the event of accidents and emergency situations under Road Safety.

(9) Organizing purchase and maintenance of Quick Evacuation Vehicles and related equipment, for quick and emergent action, provided such vehicles/equipment are not already available.

(10) Sanction of appropriate awards as an appreciation to government officials/common man for admirable contribution towards Road Safety.

(11) Money from State Government Budget Head Demand Number 03 – 2055 – 800 – 1416 – State Road Safety Fund, shall be drawn and transferred to the Fund. This shall be shown as re-receipt under the same Demand Number of the Budget.

(12) Money shall be drawn and spent from Demand Number 03 – Major Head 2055 – 800 – 8333 – State Road Safety Scheme and it shall be recouped time to time from the Head 8235 – 200 – (1416), Road Safety Fund by the order issued by Home Department with prior consent of Finance Department.

6. **Accounting and Audit of the Fund**:-

(1) Fund Controller and related executing agency shall be responsible for preparing the details of amount received and amounts disbursed from the Fund and shall prepare the Annual Accounting Report including Utilization Certificate, Income/Expenditure statement etc. at the year end, as per the Public Account norms of the State Government.

(2) Audit of accounts of the Fund shall be done by the Accountant General, at the time/intervals prescribed by them.

7. **General**:-

These rules hereby supersede the Madhya Pradesh Road Safety Fund Rules 1995.

8. **Interpretation**:-

If there be any question about the interpretation of these rules, clarification released by the Home Department, Government of Madhya Pradesh, shall be final.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. R. BHONSLE, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.